न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 639/2026

(एम0 एच0 नगर थाना कांड सं0– 73/2026 से उत्पन्न)

अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(2), 74, 303(2), 352, 351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

रवि मांझी उर्फ रविशंकर मांझी एवं अन्य..... आवेदकगण

बनाम्

बिहार राज्य जरिये लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री धर्मनाथ सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से
श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आदेश

15.04.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण **रवि मांझी उर्फ रविशंकर मांझी, हरि मांझी उर्फ हरिशंकर पवन, सीमा देवी उर्फ अनीता देवी, इंदिरा देवी उर्फ इंदु देवी** की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ अग्रिम जमानत आवेदन, एम0 एच0 नगर थाना कांड संख्या 73/2026 अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(2),74, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुना गया।

प्रसांगिक मामला संक्षेप में, यह हैं कि दिनांक 16.02.2026 को समय सुबह 08 बजे के करीब सूचिका घ ार में खाना बना रही थी, तभी अचानक हर्वे हथियार से लैस होकर आवेदक/अभियुक्त रवि मांझी, हरि मांझी, शंकर मांझी, मोहित कुमार, कर्मबीर मांझी, बलिस्टर कुमार, मधु कुमारी, अनीता कुमारी, सिमा देवी, इन्दा देवी सभी हाथ में लाठी, रड, तलवार, फरसा लेकर घर में घुस कर गाली–गलौज करने लगे, मना करने पर, कर्मबीर मांझी अपने हाथ में लिये तलवार से सूचिका के पुत्र विशाल कुमार के सर पर मारा जिससे सूचिका के लड़के का सिर कट गया तथा जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया, सूचिका के रोने –चिल्लाने के आवाज सुनकर सूचिका के देवर राजाबाबु मांझी बचाने आये तो रवि मांझी अपने हाथ में लिये लोहे के रड से सर पर प्रहार कर दिया जिससे बचने के क्रम में बॉया हाथ में लगा जिससे हाथ पुरी तरह टुट गया । सूचिका की पुत्री अंजली कुमारी को हरि मांझी अपने हाथ में लिये लोहे के रड से मारे जिससे सूचिका की पुत्री का सर फट गया, सूचिका का बाल पकड़कर शंकर मांझी घसीटतें हुए घर के बाहर पटक कर अर्धनग्न कर दिया तथा मोहित कुमार हाथ में लिये लाठी से मारने लगें। बलिस्टर कुमार, मधु कुमारी, अनीता कुमारी, सिमा देवी, इन्दा देवी सभी लोग लाठी–डण्डा से मारपीट किये तथा घर में घुसकर वहॉ रखा, 1 लाख रूपये कीमत का गहना चोरी कर लिये, जान सें मारने की धमकी दियें। सूचिका के आस–पास के ग्रामीणों द्वारा सदर अस्पताल, सिवान मे जख्मियों का इलाज कराया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को सूचिका संतोषी देवी के लिखित आवेदन के आधार पर एम0 एच0 नगर थाना कांड संख्या – 73/2026 में आरोपी बनाया गया हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय पटना में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का अतीत बेदाग हैं और उनलोगों के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नही है। संक्षेप में प्राथमिकी से पता चलता हैं कि दिनांक 16.02.2026 को लगभग 08.00 बजे सूचिका घर पर खाना बना रहीं थी। उसी समय सभी 10 लागे हथियार से लैस होकर वहॉ आए और सूचिका को गाली देने लगे। सूचिका ने विरोध किया, जिसके बाद करमबीर मांझी ले तलवार से उसके सिर पर वार किया, जिससे विशाल कुमार और सूचिका को बेटा जमीन पर गिर गया। राजाबाबु बचाने के लिए आये, तभी रवि मांझी ने लोहे के रॉड से

वार कर दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। हरि मांझी ने रॉड से वार करके अंजली कुमारी को भी घायल कर दिया। आरोपियों ने 1 लाख के गहने छिन लिए। आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हे द्वेष, दुर्भावना और गॉव की राजनीति के कारण इस मामलें में झूठा फंसाया गया है। वास्तविक तथ्य यह हैं कि सूचिका और उसके परिवार के सदस्यों ने दिनांक 16.02.2026 को शाम 07.30 बजे आवेदकगण/अभियुक्तगण और उसके परिवार पर हमला किया और एम0 एच0 नगर थाना कांड संख्या– 74/2026 को दर्ज कराया था। इस मामले में धारा 118(2), 74 एवं 303(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं। आवेदकण/अभियुक्तगणों और ग्रामीणों के मध्य भूमि विवाद चल रहा हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के भागने या अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के पारा (1 से 34) तक का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, एम0 एच0 नगर थाना कांड संख्या 73/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 74, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है, प्राथमिकी के अनुसार सूचिका का आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि सूचक के घर में घुसकार गाली–गलौज, मारपीट करने एवं गहने चोरी करने के संदर्भ में अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्मीयों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया गया है जो शरीर के गैर महत्वपूर्ण अंग पर हैं। इनके मध्य काउंटर केस भी है, जो कि एम0 एच0 नगर थाना कांड संख्या 74/2026 है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या– 26 मे आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। उक्त दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण **रवि मांझी उर्फ रविशंकर मांझी, हरि मांझी उर्फ हरिशंकर पवन, सीमा देवी उर्फ अनीता देवी, इंदिरा देवी उर्फ इंदु देवी** का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार इन आवेदकगण की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टियोग्य प्रत्येक आवेदकगण को मो0 10,000/– दस हजार रूपये के समान राशि वालें दो प्रतिभू के साथ आदेश के चार सप्ताह के अन्दर बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित दाखिल करेंगे एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे। आवेदक भविष्य में कभी भी इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।

लेखापित
ह0/–
(मोनिषा सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सिवान।